



राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 10, गुरुवार, शाके 1933—मार्च 31, 2011  
Chaitra 10, Thursday, Saka 1933—March 31, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2011

संख्या प. 2 (1)/विधि/2/2011.—राजस्थान राज्य विधान—  
मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति  
दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ  
प्रकाशित किया जाता है:—

**राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध**

**(संशोधन) अधिनियम, 2011**

**(2011 का अधिनियम संख्यांक 11)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम,  
2005 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठव वष में राजस्थान राज्य विधान-  
मण्डल निर्म्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम  
राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन)  
अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 का धारा 6 का  
संशोधन.**- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध

अर्धिनियम, 2005 (2005 का अर्धिनियम सं. 7) का धारा 6 के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- “(क) वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात् इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजावित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;”।

सत्य देव टाक,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

Jaipur, March 31, 2011

**No. F. 2 (1) Vidhi/2/2011.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Rajvittiya Uttardayitva Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhinyam, 2011 (2011 Ka Adhinyam Sankhyank 11) :-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND  
BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2011  
(Act No. 11 of 2011)**

(Received the assent of the Governor on the 31<sup>st</sup> day of March, 2011)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.-** For the existing clauses (a) and (b) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

- “(a) achieve zero revenue deficit target from financial year 2011-12 and thereafter maintain it or attain revenue surplus;
- (b) achieve fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and thereafter maintain the said ratio or reduce it;”.

सत्य देव टाक,

**Principal Secretary to the Government.**